रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937
No. 618] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 07 अक्तूबर, 2015

सं. 21/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 764(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1944 (1944 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा एतदद्वारा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 को आगे और संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में-

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम (चौथा संशोधन), 2015 कहा जाये।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख ये प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में, (इसके बाद इसे संदर्भित नियम कहा गया है), नियम 6 के उपनियम (6), खंड (viii) और उससे संबंधित प्रविविष्टयों पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ix) गन्ना, मौसम 2015-16 अर्थात् 1 अक्तूबर, 2015 के बाद से, के दौरान गन्ने की पेराई से प्राप्त होने वाले मेलासेस से उत्पादित इथानोल, जिसका कि अधिसूचना सं-12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2015 सा.का.नि. 163(अ), दिनांक 17 मार्च, 2015 में दी गई सारणी के क्रम सं. 40क के प्रावधानों के अनुसार पेट्रोल में

मिश्रित किये जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, जैसे कि इंडियन आयल कार्पोरेशन लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., को आपूर्ति की जानी है ।"

[फा. सं.-354/78/2009-टीआयू (भाग)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (गै. टै.) तारीख 10 सितम्बर, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 14/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (गै. टै.) तारीख 19 मई, 2015, सा.का.नि. 402(अ), तारीख 19 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2015

No. 21/2015-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 764(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:–

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fourth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in sub-rule (6), after clause (viii) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"(ix) Ethanol produced from molasses generated from cane crushed in the sugar season 2015-16 i.e. 1st October, 2015 onwards, for supply to the public sector oil marketing companies, namely, Indian Oil Corporation Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd. or Bharat Petroleum Corporation Ltd., for the purposes of blending with petrol, in terms of the provisions of S.No.40A of the Table in notification No.12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, number G.S.R. 163(E), dated that 17th March, 2012.".

[F. No. 354/78/2009-TRU (Pt.)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No.23/2004-Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004 *vide* number G.S.R. 600(E) dated the 10th September, 2004 and last amended vide notification No.14/2015-Central Excise (N.T.) dated 19th May, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), by number G.S.R. 402(E), dated the 19th May, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.